


18.04.2022

पत्रावली वेष्टा हुई। ठाकुर वेष्टी पर वकील
उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बखस एवं पत्रावली
के पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के
अवलोकन, मनन के उपरान्त शर्तनामा-का
B-7, R-11 जा. की स्वीकार किया जाता है
एवं बाद "पूर्व व्याय" के अनुसार धारित
किया जाता है। विस्तृत विषय पृष्ठक से
लिखा जाकर सरे इजवास सुनाया गया।
पत्रावली फंसल सुबह हीकर गंवर से
क्या की जाकर दाखिल इकर है।
निर्णय मेरे हस्ताक्षर व व्यायलय मुद्रा
से जारी किया गया।


सहायक कलक्टर
साँभर लोक

